<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>
18.09.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता आंचलिक कार्यालय-I ने धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत चल रही जांच के क्रम में, 16 और 17 सितंबर 2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 की धारा 17 के तहत कोलकाता, इंदौर और जयपुर में अमृत समूह की कंपनियों, इसके निदेशकों/प्रवर्तकों तथा अन्य सहयोगियों से जुड़े 20 आवासीय एवं कार्यालय परिसरों पर तलाशी अभियान संचालित किया।

ईडी ने गंभीर कपट अन्वेषण कार्यालय (एसएफआईओ) द्वारा मेसर्स अमृत प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (एपीएल), मेसर्स अमृत बायो-एनर्जी एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड (एबीईआईएल), मेसर्स अमृत प्रोजेक्ट्स (एन.ई.) लिमिटेड (एपीएनईएल), मेसर्स अमृत बाजार परिसेवा लिमिटेड (एबीपीएल), इन कंपनियों के निदेशकों/प्रवर्तकों तथा अन्य के विरुद्ध कंपनी अधिनियम, 2013 की विभिन्न धाराओं के तहत किए गए अपराधों, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत अनुसूचित अपराध के रूप में परिभाषित धारा 447 भी शामिल है, के संबंध में दायर आपराधिक शिकायत संख्या 01/2025 दिनांक 01.08.2025 के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि श्री कैलाश चंद दुजारी, श्री काली किशोर बागची, श्री अमृत दुजारी तथा अन्य ने अपनी कंपनियों के माध्यम से सावधि जमा, आवर्ती जमा, मासिक/त्रैमासिक आय योजनाओं और क्लब सदस्यता योजनाओं के जरिए आम जनता से ₹131.86 करोड़ (लगभग) की राशि जुटाई। इन योजनाओं को कथित रूप से मोचनीय अधिमान शेयरों, डीप डिस्काउंट बॉन्ड और हर्ब योजनाओं में निवेश के रूप में छिपाया गया था, जबकि जमाकर्ताओं को यह बताया गया था कि उनकी धनराशि सुनिश्चित प्रतिफल के बदले सावधि/आवर्ती जमा के रूप में स्वीकार की जा रही है। इस प्रकार, उक्त समूह की कंपनियों और इसके निदेशकों/प्रवर्तकों ने उच्च प्रतिफल का वादा करते हुए विभिन्न जमा योजनाओं के तहत आम जनता से भारी मात्रा में धनराशि एकत्र की और जमा राशि का पुनर्भुगतान न करके जनता को धोखा दिया। उपर्युक्त ₹131.86 करोड़ में से ₹71.04 करोड़ (लगभग) वित्तीय वर्ष 2019-20 तक जमाकर्ताओं को वापस नहीं की गई थी।

ईडी की जांच से आगे पता चला है कि श्री कैलाश चंद दुजारी, अमृत समूह की कंपनियों के अन्य निदेशकों/कर्मचारियों के साथ, आम जनता से एकत्रित की गई धनराशि के विपथन और उपयोग में शामिल थे। उक्त धनराशि को प्रवर्तकों द्वारा नियंत्रित/स्वामित्व वाली शेल

संस्थाओं में विपथित किया गया तथा प्रवर्तकों/शेल संस्थाओं के नाम पर अचल संपत्तियों की खरीद और नकद आहरण के लिए उपयोग किया गया।

तलाशी अभियान के दौरान ₹2.75 करोड़ से अधिक मूल्य की चल परिसंपत्तियां, जिनमें नकदी (₹1 करोड़), विदेशी मुद्रा ($4,800), बैंक शेषराशि और अन्य निवेश शामिल हैं, बरामद की गईं तथा जब्त/फ्रीज की गईं। इसके अतिरिक्त, होटलों (जयपुर, इंदौर और दिल्ली), स्कूलों, आवासीय परिसरों तथा बेनामी व्यक्तियों/संस्थाओं के नाम पर धारित भूखंडों में प्रवर्तकों/निदेशकों द्वारा ₹20 करोड़ से अधिक मूल्य के किए गए निवेश से संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए और जब्त किए गए हैं।

तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप विभिन्न अपराध संकेती दस्तावेज, डिजिटल उपकरण, आरोपित व्यक्तियों तथा अन्य संदिग्ध संस्थाओं से जुड़े हवाला लेन-देन से संबंधित अभिलेख भी जब्त किए गए। इन दस्तावेजों/अभिलेखों से उत्पन्न और परतन किए गए अपराध से अर्जित आय के प्रवाह की आगे पुष्टि होने की संभावना है।

आगे की जांच जारी है।
